ग्राम पंचायत बरण्डा, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176201 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बरण्डा, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री संजीव कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राजिन्द्र कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राजिन्द्र डडवाल	01.04.2022 से 31.03.2023
2.	श्री बलवान सिंह	01.04.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री सुभाष सिंह	01.04.2022 से 30.06.2023
2	श्री गुरविन्द्र सिंह	01.07.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत बरण्डा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषों में अन्तर पाया जाना	0.01
2	4 (घ)	निर्देशानुसार बैंक खाते न खोलने के कारण विभिन्न अनुदानों का माइनस शेष पाया जाना	7.12
3	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	7.88
4	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.76
5	6.2	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.14
6	7.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	13.66
7	7.2	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	22.11
8	8.1	निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु अनियमित भुगतान भुगतान करना	2.54
9	8.2	निर्माण कार्यों के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.05
10	9	पत्थर खरीद पर रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक व अनियमित भुगतान करना	0.04

11	10	सामग्री का अनियमित क्रय करना	2.00
12	11	माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करना	3.81

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत बरण्डा का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 व 01/04/2020 से 31/03/2022 के लिये किया गया था जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः—

(अ)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र.सं.	पैरा सं.	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	5	अनिर्णीत	—
2.	7	अनिर्णीत	—
3.	8	अनिर्णीत	—
4.	9	अनिर्णीत	—
5.	9.1	अनिर्णीत	—
6	10	अनिर्णीत	—
7	12	अनिर्णीत	—
8	13	अनिर्णीत	—

(ब)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 तक

क्र.सं.	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त
2.	4.1(अ),(ब)	अनिर्णीत	—
3.	4.2(क)	अनिर्णीत	—
4.	5	अनिर्णीत	—
5.	6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है।
6	6.1	अनिर्णीत	—
7	7.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है।

8	7.2	अनिर्णीत	—
9	7.3	निर्णीत	(पैरे में शामिल राशि ₹400 दिनांक, 27.07.2023 को खाता संख्या 20076007475 में जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त)
10	8.1	अनिर्णीत	—
11	8.2	अनिर्णीत	—
12	8.3	अनिर्णीत	—
13	9.1,9.2, 9.3	अनिर्णीत	—
14	10.1 से 10.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है।
15	10.4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है।
16	10.5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है।
17	10.6.1 से 10.6.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत बरण्डा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31.08.2024 से 07.09.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्वः स्त्रोत व अनुदानों की हस्तगत रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	05/2022	03/2023
2023—24	08/2023	08/2023

<u>अस्वीकरण</u> (Disclaimer) :–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/403 दिनांक 07.09.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक बरण्डा स्थित कण्डवाल के मल्टीसिटी चैक संख्या 068546 दिनांक 16.09.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/389 दिनांकः–31.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	656585.00	203789.71	860374.71	45554.00	814820.71
2023-24	814820.71	155489.00	970309.71	24642.00	945667.71

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	3403405.87	4995548.19	8398954.06	5256882.36	3142071.70
2023-24	3142071.70	2831298.52	5973370.22	5185151.52	788218.70

कुल योग (1+2) 945667.71+788218.70 **=1733886.41**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार शेष ₹17,33,886.41/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार अन्तशेष ₹17,35,203.41/–से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित/टी.एस.सी/एस.डी.पी /एम.पी.लेड/वी.के.वी.एन.वाई/ 14वाँ वित्त/जेड.पी/पी.एस	का•के•सह•बैंक पक्का टियाला	20076007475	902143.41
2	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	आई•सी•आई•सी.आई.बैंक जस्सूर	374401000224	833000
	हस्तगत शेष			60
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹1735203.41
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति(पैरा 4)के अनुसार अन्तशेषः–				₹1733886.41
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹1735203.41
अन्तरः–				₹1317

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹0.01 लाख का अन्तर पाया जाना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत बरण्डा द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि **₹1317/-** का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है। उक्त

अनियमितता बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4.2(क) में अंकेक्षण विभाग द्वारा इस आपति को उठाया गया था, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस पर कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/391 दिनांकः–02.09.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) निर्देशानुसार अलग–2 स्कीमों के लिये अलग–2 बैंक खाते न खोलने के कारण प्राप्त अनुदानों से राशि ₹7.12 लाख का अधिक भुगतान/व्यय करने बारे :–

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत बरण्डा के बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानों जैसे कि 5वां वित, वी.के.वी.एन. वाई, एस.डी.पी, एम.पी.लेड, व 14वां वित इत्यादि की सयुंक्त हस्तगत रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत , 5वां वित्त,टी.एस.सी, वी.के.वी.एन.वाई, एस.डी.पी, एम.पी.लेड, व 14वां वित आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एंव निर्देशो के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20076007475 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है व नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 2** के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक निम्न तालिका में दर्शाए शीर्षो के अंतर्गत प्राप्त अनुदानो की अपेक्षा ₹712155/- का अधिक व्यय किया गया दर्शाया गया था, जोकि न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशो की अवहेलना है, अपितु शीर्ष/स्कीमवार प्राप्त अनुदान ब्याज व भुगतान/व्यय

आदि की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि करने हेतु अपर्याप्त होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है:—

क्र0सं0	अनुदान	खाता संख्या	अधिक व्यय
1.	एम.पी.लेड	20076007475	249770
2.	वी.के.वी.एन.वाई	20076007475	161754
3.	जेड पी / पी.एस	20076007475	300631
	योग		712155

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 402 दिनांकः—07.09.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या— 80 दिनांकः—07.09.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि स्कीम वाईज खातो का अनुसंधारण कर दिया जायेगा, प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः स्कीम वाईज खाते न खोलने व प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करने बारे पूर्ण तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खातो में जमा करना सुनिश्चित किया जाए व निदेशक, पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशो के अनुपालनार्थ आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ड.) लेखा खाता / खाताबही तैयार न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप—7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। खाताबही / लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी—कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं।

अनुदान	वाउचर सं / दिनांक	बिल सं / दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.14वां वित	22 / 02.08. 2023	353 / 12.07. 2023	पूर्ण कार्य पंचायत भवन बरण्डा वार्ड—5	49758
2.14वां	23 / 02.08.	307 / 26.07.	निर्माण पंचवटी पार्क वार्ड—9 नडा	199999

वित	2023	2023		
3.एस.डी.पी	27–29/07.08.2023	521–523/01.07.2023	अपवर्धन कार्य तालाब बरण्डा वार्ड–3	139715
4.14वां वित	38/25.08.2023	526/30.07.2023	निर्माण पंचवटी पार्क वार्ड–9 फेस 2	84322

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/402 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियों/लेखा खातों को आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इन्हे तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

5.1 अनुदान की राशि ₹7.88 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/389 दिनांकः–31.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि [redacted] **1 व** [redacted] **2** पर संलग्न है ,के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹7,88,218.70/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क.स.	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	5वाँ वित	31.03.2024	34547.83
2	टी.एस.सी/एस.बी.एम	31.03.2024	73600
3	एस.डी.पी	31.03.2024	9348

4	एम.पी.लेड	31.03.2024	-249770
5	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	-161754
6	14वाँ वित	31.03.2024	512377.87
7	15वाँवित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	833000
8	जेड.पी/पी.एस	31.03.2024	-300631
9	आर.ए.वाई/आर.ए.वाई	31.03.2024	37500
		कुल जोड	**788218.70**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/393 दिनांक–03.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के तथ्यपूर्ण कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.76 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पत्तिकर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत(Outstanding)नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/389 दिनांकः–31.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹76000**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु

शेष थी। क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 2022–23 के दौरान कोई वसूली नहीं की गई थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/394 दिनांकः–03.09.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली को करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जायेगा व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.14 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क को प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/389 दिनांकः–31.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत बरण्डा द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान ₹14375 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई ,परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1.	2022–23	7850
2	2023–24	6525
	जोड	**14375**

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/394 दिनांकः–03.09.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत बरण्डा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹13.66 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बरण्डा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट–"6" पर संकलित राशि ₹13,66,231/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया अथवा संबंधित रजिस्टर को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/397 दिनांकः–05.09.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षणावधि में क्रय किये गये प्रत्येक सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.2 आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹22.11 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/392 दिनांकः–02.09.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को ₹22,11,083/– का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों तथा समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/400 दिनांकः–06.09.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये नहीं किये गए व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है, भविष्य में इन फॉर्म को प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमो के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को उनके पूर्ण विवरण

सहित या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इन प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.1 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹2.54 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः—

सचिव (RD&PR) हि० प्र० सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा—निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के अंतर्गत निम्नविवरणानुसार राशि ₹2,53,960 के पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया गया था तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction. अनुसार निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी, परिणामस्वरूप किया गया भुगतान अनियमित प्रतीत होता है :—

क्र० सं०	अनुदान	वाउचर सं / दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि(₹)
1	15TH FC	29/23.03.2023	03/2023	60mm(Paver Block) from M/s Balwan Singh Baranda Nurpur Bill No 138 dt.-13.03.2023	13650	150150
2	15TH FC	30/23.03.2023	03/2023	60mm(Paver Block) from M/s Balwan Singh Baranda Nurpur Bill No 139 dt.-13.03.2023	525	5775
3	15TH FC	31/23.03.2023	03/2023	60mm(Paver Block) from M/s Balwan Singh Baranda Nurpur Bill No 140 dt.-13.03.2023	2925	32175
4	15TH FC	32/23.03.2023	03/2023	60mm(Paver Block) from M/s Balwan Singh Baranda Nurpur Bill No 141 dt.-13.03.2023	2675	29425
5	14TH FC	30/09.08.2023	08/2023	60mm(Paver Block) from M/s Panjaria Ceramic Solution Ladori Nurpur Road Bill No 27 dt.-05.07.2023	3470	36435
					योग	**253960**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/395 दिनांकः—04.09.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय के पत्र संख्याः— 80 दिनांकः—07.09.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त व्यय को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें।

8.2 निर्माण कार्यों के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करना :—

1.निर्माण नाली व रास्ता गबली बस्ती वार्ड—5 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 2742 के पृष्ठ संख्या 47 व 48 में निर्माण सामग्री, इंटरलॉक टाईल्स का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 138 दिनांक 13.03.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री इंटरलॉक टाईल्स 13650 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण **₹**1683 का अधिक भुगतान किया गया थाः—

2.निर्माण नालियां नजदीक मेजर सिंह हाउस वार्ड—7 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 2742 के पृष्ठ संख्या 52 में निर्माण सामग्री, सीमेंट बैग का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 93082 दिनांक 07.03.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 58 बैग का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण **₹**1221 का अधिक भुगतान किया गया थाः—

3.निर्माण पूर्ण कार्य तालाब वार्ड—1 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 2742 के पृष्ठ संख्या 23 में निर्माण सामग्री, ब्रिक(ईंटे) का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 136 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री ब्रिक 6770 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण **₹**1755 का अधिक भुगतान किया गया थाः—

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	15वां वित	इंटरलॉक टाईल्स	13650	13497	153	11	1683
2.	15वां वित	सीमेंट	58बैग	55बैग	3बैग	407	1221
3	15वां वित	ब्रिक(ईंटे)	6770	6536	234	7.50	1755
					योग		4659

<u>वास्तविक खपत योग्य सामग्री का विवरण :-</u>

1.Item-2 P/L(Inter Lock Block) =409m2 X 33(Tiles Factor) =**13497 Tiles**

2.Item-3 P/L(1:4:8) =04.50m3X 3.40(Cement. Factor) =**15.30 or say 15Bags**

Item-4 P/L(1:3:6) =07.95m3X 4.40(Cement. Factor) =**34.98 or say 35 Bags**

P/L(1:2:4) =18m2 X 0.30(Cement. Factor) =05.**40 or say 05 Bags**

Total = 55 Bags

3.Item-3 Brick work =13.76m3X 475(Bricks Factor) =**6536 Bricks**

इन अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/396 दिनांकः–05.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से करने उपरान्त संबंधित खाते में जमा करवा दी जायेगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा, प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अधिक व अनियमित भुगतानों की राशि बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. निर्माण कार्य के लिये पत्थर खरीद पर रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.04 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :–

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के नियम के क्लॉज 2.1.2.13 के अनुसार पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति के भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की 12.5 प्रतिशत कटौती की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास 08/2023 के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनुदान के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु प्रयोग की गई निर्माण सामग्री पत्थर खरीद हेतु निम्न तालिका के अनुसार ₹31900/– का कुल भुगतान किया गया ,लेकिन संविदाकार को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियों (Voids) की 12.5 प्रतिशत कटौती न करने के कारण ₹3988(31900@12.5%) का अधिक व अनियमित भुगतान किया गया था। यह एक गम्भीर वितीय अनियमितता है:–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर संख्या/दिनांक	सामग्री	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा (घन मीटर)	दर (प्रति घन मीटर)	राशि
1.14वां वित	39/25.08.2023	वोल्डर	201/02.08.2023	मै0 बलवान सिंह बरण्डा नूरपुर	22	1450	31900

उक्त अधिक एवं अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/401 दिनांक:–07.09.2024 द्वारा पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–80 दिनांक:–07.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त अनियमितता अनभिज्ञ होने के कारण हुई है, उक्त अधिक व गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार/व्यक्ति से करने उपरान्त सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जायेगी प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त किये गए अधिक व अनियमित भुगतान को नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाना सुनिश्चित करके व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 **ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान 14वें वित के अंतर्गत राशि ₹2.0 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय करने बारेः–**

ग्राम पंचायत द्वारा पंचवटी पार्क वार्ड –9 मे प्राप्त झूले इत्यादि स्थापित करने हेतु निम्नविवरणानुसार राशि ₹199999/– का भुगतान किया गया। व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित आपतियां पाई गईः–

1.हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(5) ए के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹50000 से अधिक की खरीद पर न्यूनतम दो समाचार पत्रो द्वारा टेन्डर कॉल किये जाने अपेक्षित है। चयनित मास 08/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनुदान के अंतर्गत टेन्डर कॉल करने की प्रकिया को पूर्ण किये बिना ही पंचवटी पार्क के लिये राशि ₹ 199999 की सामग्री खरीदी गई। जोकि उपरोक्त नियम की पूर्णतः अवहेलना है। जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा ₹199999 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

2.ग्राम पंचायत द्वारा बिना निविदायें आंमत्रित किये क्रय किया गया था।

3.हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(3) के अनुसार उक्त सामग्री की खरीद से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा एक उप–समिति का गठन नहीं किया गया था।

4.उक्त क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम अर्थात भंडार नियंत्रक (Controller of store) की दर संविदा (Rate Contract) अथवा Gem Portel से किया जाना वांछित था, तथा यदि उक्त सामग्री हि0 प्र0 सरकार के भंडार नियंत्रक के Rate Contract अथवा Gem Portel से उपलब्ध नहीं होती है तो पंचायत द्वारा उक्त सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया जा सकता है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी।

5.उक्त क्रय की गई सामग्री को स्थायी परिसम्पति रजिस्टर में भी इन्द्राज नहीं किया गया था।

क्र0सं0 व अनुदान	वाचर सं. /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं. /दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	राशि
1.14TH FC	23/ 02.08.2023	KCS Industries Defence Road Pathankot	307/ 26.07.2023	Merry goroud 6 seatr	1	29040	29040
				See Saw	1	20780	20780

				double in Iron			
				Swing double in iron	1	21962	21962.16
				Baby swing	1	11927	11927.44
				Slide in Iron	1	23140	23140
				Rocker double	1	13702	13702.16
				Rainbow double	1	23137	23137.44
				Square swing	1	45560	45560
				Baby swing	1	10750	10750
						G. Total	199999.2

इन अनियमितताओं बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे सचिव पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/399 दिनांकः–06.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमानुसार ही कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उक्त सामग्री को स्थायी स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा लाखो रूपये की राशि का व्यय नियमों की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं था। अतः मामला उच्चाधिकारियो के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि मामाले की छानबीन व पड़ताल करने उपरान्त वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. ₹3.81 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करने बारेः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान, चयनित माह के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण हेतु निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹3,81,322/– के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मास	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.14वां	22,26/02,	08/2023	पूर्ण कार्य पंचायत भवन	99696	माप पुस्तिका

वित	04.08.2023		बरण्डा वार्ड–5		
2.एस.डी.पी	27–30/07.08.2023,11.08.2023	08/2023	अपवर्धन कार्य तालाब बरण्डा वार्ड–3	232570	माप पुस्तिका
3.मनरेगा	38/19.08.2023	08/2023	निर्माण अपवर्धन शमशान घाट बरण्डा वार्ड–5,6	12544	माप पुस्तिका
4.मनरेगा	33,40/04.08.2023	08/2023	निर्माण फॉर्म तालाब प्रताप सिंह, श्री जगजीत सिंह इत्यादि की जमीन वार्ड–5	36512	माप पुस्तिका
			कुल योग	**381322**	

उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत बरण्डा से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/398 दिनांकः–06/09/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः– 07/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य दिया जाये तथा हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

12. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹26.41 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 03/2023 व 08/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹26,41,450/– का

भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक अनियमितता है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/402 दिनांकः–07.09.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत बरण्डा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "8.1" व "11" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4.निर्माण कार्यो के खनन बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस की कटौती नहीं की गई थी व एम फॉर्म की प्राप्ति सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान किया गया था।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/402 दिनांकः– 07.09.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत बरण्डा को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है तथा विभिन्न

निर्माण कार्यो से संबंधित प्रपत्र–34 को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया इन्हे तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/389 दिनांकः 31.08.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी। लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है , जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

11	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/389 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–80 दिनांकः–07.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः—

16 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत बरण्डा द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत बरण्डा के चयनित मासों के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

22 NOV 2024

कोि/50

5650-5654

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)107/2017—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बरण्डा, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

22 NOV 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

कोि/50

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP BRANDA KANDWAL FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	656585.00	203789.71	860374.71	45554.00	814820.71
2023-24	814820.71	155489.00	970309.71	24642.00	945667.71

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	3403405.87	4995548.19	8398954.06	5256882.36	3142071.70
2023-24	3142071.70	2831298.52	5973370.22	5185151.52	788218.70

25

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या-5.1)

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BARANDA KANDWAL FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH STATE	2022-23	60277.00	339662.83	399939.83	375295.00	24644.83
		2023-24	24644.83	520039.00	544683.83	510136.00	34547.83
2	TSC/SBM	2022-23	73600.00	0.00	73600.00	0.00	73600.00
		2023-24	73600.00	0.00	73600.00	0.00	73600.00
3	SDP	2022-23	-52667.00	380429.00	327762.00	214366.00	113396.00
		2023-24	113396.00	408109.00	521505.00	512157.00	9348.00
4	MPLAD	2022-23	-268751.00	120000.00	-148751.00	177924.00	-326675.00
		2023-24	-326675.00	76905.00	-249770.00	0.00	-249770.00
5	VKVNY	2022-23	-15969.00	60000.00	44031.00	0.00	44031.00
		2023-24	44031.00	330541.00	374572.00	536326.00	-161754.00
6	14TH FC/ZP/PS	2022-23	1550029.87	0.00	1550029.87	228003.00	1322026.87
		2023-24	1322026.87	0.00	1322026.87	809649.00	512377.87
7	15TH FC/ZP/PS	2022-23	2320017.00	2411056.00	4731073.00	2576894.00	2154179.00
		2023-24	2154179.00	264268.00	2418447.00	1585447.00	833000.00
8	ZP/PS	2022-23	-300631.00	0.00	-300631.00	0.00	-300631.00
		2023-24	-300631.00	0.00	-300631.00	0.00	-300631.00
9	IAY/RAY	2022-23	37500.00	0.00	37500.00	0.00	37500.00
		2023-24	37500.00	0.00	37500.00	0.00	37500.00
10	MNREGA	2022-23	0.00	1684400.36	1684400.36	1684400.36	0.00
		2023-24	0.00	1231436.52	1231436.52	1231436.52	0.00

26

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या 4.1 (ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत बरण्डा कंडवाल विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत बरण्डा कंडवाल के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित / टी.एस.सी / एस.डी.पी / एम.पी.लेड / वी.के.वी.एन.वाई / 14वाँवित्त / जेड.पी / पी.एस	का•के•सह•बैंक पक्का टियाला	20076007475	1734026.87	902143.41
2	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	आई•सी•आई•सी.आई.बैंक जस्सूर	374401000224	2320017	833000
	हस्तगत शेष(हस्तगत रोकड.बही के अनुसार)			212	60
			कुल जोड.	**4054255.87**	**1735203.41**

Checked

सचिव
ग्रा प बरण्डा
वि खण्ड नूरपुर

27

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या "6.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत बरण्डा कंडवाल विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 860 तथा 2023–24 में 864 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	61550	860	50	43000	104550	0	104550
2023–24	104550	864	50	43200	147750	71750	76000
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹ 76000**/– है।						

Checked

28

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या "6.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत बरण्डा कंडवाल विकास खण्ड नूरपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176201

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि:—

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1.	2022—23	7850
2	2023—24	6525
	जोड	**14375**

सचिव
ग्रा प बरण्डा
वि खण्ड नूरपुर

21

परिशिष्ट – 6 (पैरा संख्या "4.1")

ग्रा. पंचायत बरण्डा कण्डवाल विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना।

अनुदान	वो.स. /दिनां	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1 MPLAD	64/04.03.2023	Cemented Sign Board(with GST)	780/28.02.2023	M/S Bachan Anand Art Choudhrian da Khooh	1	2596	2596	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.SDP	65/04.03.2023	Cemented Sign Board(with GST)	781/28.02.2023	M/S Bachan Anand Art Choudhrian da Khooh	1	2596	2596	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
3.15TH FC	28/06.03.2023	SPV Street Lights	1260/27.02.2022	M/s HP Govt Energy Development Kangra at Dharamshala	15	13070	196050	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4.15TH FC	34/23.03.2023	Cemented Sign Board(with GST)	788/20.03.2023	M/S Bachan Anand Art Choudhrian da Khooh	1	2596	2596	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
5.15TH FC	41-46/23.03.2023	Cemented Sign Board(with GST)	789,782,783,786,787,790/20.03.2023	M/S Bachan Anand Art Choudhrian da Khooh	6	2596	15576	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
6.15TH FC	47-51/23.03.2023	RCC Cemented Bench	510,506-509/10.03.23	M/S kuldeep Enterprises Pacca Tiala Kandwal	56	4850	271600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
7.15TH FC	52-59/25.03.2023	Cement Bags	93067-93074/02.03.2023	M/S HP Civil Supply Jassur	853	407	347171	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
8.15TH FC	60/25.03.2023	Cement Bags	20101/22.02.2023	M/S HP Civil Supply Jassur	190	407	77330	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
9.15TH FC	61-62/25.03.2023	Cement Bags	93082,83/07.03.2023	M/S HP Civil Supply Jassur	85	407	34595	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
10.15TH FC	63-65/25.03.2023	Cement Bags	93084-93086/07.03.2023	M/S HP Civil Supply Jassur	118	407	48026	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
11.14TH FC	22/02.08.2023	Wall PVC Sheets(sqft)	353/12.07.2023	M/S Vishwa Karma Enterprises Nagabari Nurpur	318	89.68	28518.24	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		PVC down ceiling(sqft) (Inclg. GST)			150	141.6	21240	
12.14TH FC	23/02.08.2023	Park Material (Including GST)	307/26.07.2023	M/S KCS Industries Defence Road Pathankot	—	—	199999	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
13.14TH FC	26/04.08.2023	Wall PVC Sheets(sqft)	355/20.07.2023	M/S Vishwa Karma Enterprises Nagabari Nurpur	320	89.68	28697.6	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		PVC down ceiling(sqft) (Inclg. GST)			150	141.6	21240	
14.14TH FC	33]34/17.08.2023	RCC Cemented Bench	524,525/02.07.2023	M/S kuldeep Enterprises Pacca Tiala Kandwal	18	3800	68400	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
						कुल योग	**1366230.84**	

परिशिष्ट – 7 (पैरा संख्या – "7.2")

ग्राम पंचायत बरण्डा कण्डवाल दवारा अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक ग्राम पंचायत में कार्यों पर खर्च हुई सामग्री का व्यय ब्यौरा

1.2022-23 SF

क्र. संख्या	वाउचर न./दिनांक	फर्म का नाम	बिल संख्या	सामग्री	मात्रा घन मीटर	दर	राशी
1	05/08.04.2022	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	87/21.03.2022	बजरी	18	780	14040
				रेता	17	780	13260
2	06/08.04.2022	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	86/21.03.2022	बजरी	17	780	13260
				रेता	8	780	6240
				बोल्डर	3	590	1770
3	30/16.09.2022	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	94/10.06.2022	रेता	4	1250	5000
4	56//15.02.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	96/05.01.2023	बजरी	20	1150	23000
				रेता	10	1250	12500
5	58/17.02.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	502/02.01.2023	बजरी	21	1150	24150
				रेता	16	1250	20000
					कुल योग		133220

2.2023-24 SF

क्र. संख्या	वाउचर न./दिनांक	फर्म का नाम	बिल संख्या	सामग्री	मात्रा घन मीटर	दर	राशी
1	21/21.07.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	512/10.03.2021	बजरी	7	1150	8050
				रेता	4	1200	4800
2	27/07-08-2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	522/01.07.2023	बजरी	15	1550	23250
				रेता	12	1750	21000
3	28/7-08-2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	521/01.07.2023	बजरी	20	1550	31000
				रेता	10	1750	17500
4	29/7-08-2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	52301,07.2023	बजरी	20	1550	31000
				रेता	7	1750	12250
5	39/25.08.2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	201/02.08.2023	बोल्डर	22	1450	31900
5	38/05.08.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	526/30-07-2023	बजरी	30	1550	46500
				रेता	15	1750	26250
	44/28.09.2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	210/08.09.2023	बोल्डर	17.5	1450	25375
6	48/26.10.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	530/30.08.2023	बजरी	16	1550	24800
				रेता	12	1750	21000
7	53/01.11.2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	212/08.09.2023	इंटे	1358 No	7.9	10728

हस्ताक्षर
दिनांक

सचिव
ग्राम पंचायत बरण्डा
वि खण्ड नूरपुर

10	78/11.03.2024	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	542/01.02.2024	बजरी	20	1550	31000
				रेता	10	1750	17500
11	81/16.03.2024	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	243/20.02.2024	बोल्डर	5	1450	7250
12	83/23.03.2024	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	544/01.03.2024	बजरी	34	1550	52700
				रेता	15	1750	26250
13	85/28-03-2024	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	242/20.03.2024	बोल्डर	5	1450	7250
					कुल योग		477353
			3.MNREGA 2022-23				
1	15/21.05.2022	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	145/02.11.2021	बजरी	71	850	60350
				रेता	29	850	24650
				बोल्डर	45	850	38250
					कुल योग		123250

4.MNREGA 2023-24

1	12/27.06.2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	129/17.02.2023	बोल्डर	40	950	38000
2	13/27.06.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	503/17.02.2023	बजरी	49	1150	56350
				रेता	26	1250	32500
3	16/27.06.2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	130/17.02.2023	बोल्डर	24	950	22800
4	17/27.06.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	504/17.02.2023	बजरी	23	1150	26450
				रेता	18	1250	22500
5	19/27.06.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	505/17.02.2023	बजरी	54	1150	62100
				रेता	28	1250	35000
					कुल योग		295700

5.15th FC 2023-24

1	1/10.04.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	513/05-04-2023	बजरी	59	1150	67850
				रेता	32	1250	40000
2	2/10.04.2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	157/05-04-2023	बोल्डर	10	950	9500
3	06/25-04-2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	515/05-04-2023	बजरी	47	1150	54050
				रेता	24	1250	30000
4	08/25-04-2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	514/05-04-2023	बजरी	3	1150	3450
				रेता	6	1250	7500
5	10/01.06.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	516/05-04-2023	बजरी	12	1150	13800
				रेता	7	1250	8750
6	12/01-06-2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	517/05-04-2023	बजरी	46	1150	52900

			517/05-04-2023	रेता	25	1250	31250
7	14/17.06.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	518/10-04-2023	बजरी	13	1150	14950
				रेता	6.5	1250	8125
8	15/17.06.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	519/10-04-2023	बजरी	10	1150	11500
				रेता	10	1250	12500
9	17/17.06.2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	195/01.05.2023	बोल्डर	11.5	950	10925
10	18/31.08.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	527/30-07-2023	बजरी	10	1550	15500
				रेता	11	1750	19250
11	20/31.08.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	528/30-07-2023	बजरी	40	1550	62000
				रेता	20	1750	35000
12	23/03.11.2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	213/08.09.2023	बोल्डर	2	1450	2900
13	24/23.11.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	531/30.-08.2023	बजरी	9	1550	13950
				रेता	6	1750	10500
14	26/13.12.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	532/20.09.2023	बजरी	20	1550	31000
				रेता	18	1750	31500
15	28/13-12-2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	218/11.11.2023	बोल्डर	28	1450	40600
16	29/01.02.2024	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	536/01.12.2023	बजरी	9	1550	13950
				रेता	4	1750	7000
17	33/01.02.2024	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	535/01.12.2023	बजरी	3	1550	4650
				रेता	3	1750	5250
18	37/09.02.2024	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	539/01.01.2024	बजरी	7	1550	10850
				रेता	3	1750	5250
19	41/09.02.2024	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	538/01.01.2024	बजरी	12	1550	18600
				रेता	6	1750	10500
					कुल योग		**715300**

6.15th FC 2022-23

1	11/22.07.2022	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	83/09-06-2022	इंटे	6380 No	7.5	47850
2	12/04.08.2022	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	89/05-06-2022	बजरी	25	1150	28750
				रेता	19	1250	23750
3	20/01.09.2022	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	93/01-06-2022	बजरी	23	1150	26450
				रेता	17	1250	21250
4	21/01.09.2022	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	97/20-06-2022	बोल्डर	3.3	950	3135

5	24/22.12.2022	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	95/20-06-2022	बजरी	18	1150	20700
				रेता	14	1250	17500
6	26//20.02.2023	KULDEEP INTERPRISES PAKKA TIALA	501//02-01-2023	बजरी	19	1150	21850
				रेता	14	1250	17500
7	33/23.03,2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	133/01-03-2023	Bricks	9000 No	7.5	67500
8	35/23.03,2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	134/01-03-2023	Bricks	6650 No	7.5	49875
9	37/23.03,2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	135/01-03-2023	Bricks	6000 No	7.5	45000
10	38/23.03,2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	136/01-03-2023	Bricks	6770 No	7.5	50775
11	40/23.03,2023	BALWAN SINGH BARANDA NURPUR	137/20-03-2023	Bricks	3250 No	7.5	24375
					कुल योग		**466260**
					(1+2+3+4+5+6)कुल योग		**2211083**

हस्ताक्षर

दिनांक

सचिव
ग्राम पंचायत
वि खण्ड नूरपुर